[लोक ले० स० प्रकाशन संख्या 331]

बिहार विधान-सभा

लोक-लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या 323

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जल संसाधन विभाग से संबंधित वर्ष 1997-98, 1988-89, 1990-91, 1991-92 एवं 1993-94 (सिविल) की कंडिका क्रमशः 4.25, 4.9, 5.6, 4.16 एवं 4.17 पर लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन।

(दिनांक 8-11-2000 को सदन में उपस्थापित)

विषय-सूची

			पृष्ठ
(1) लोक-लेखा समिति का गठन	..	..	"क"
(2) लोक-लेखा समिति की उप-समिति का गठन		..	"ख"
(3) महालेखाकार एवं वित्त विभाग कार्यालय		..	"ग"
(4) सभा-सचिवालय	..	..	"घ"
(5) प्राक्कथन	..	..	"ङ"
(6) प्रतिवेदन	..	..	1—9
(7) परिशिष्ट (क)	..	..	10—18

135 एल० ए०—

लोक-लेखा समिति की मुख्य समिति के सदस्यगण

सभापति

श्री रामदेव वर्मा, स०वि०स०

सदस्यगण

श्री मुनेश्वर चौधरी, स०वि०स०
श्री रामचन्द्र राय, स०वि०स
श्री यदुवंश कुमार यादव, स०वि०स०
श्री इन्दर सिंह नामधारी, स०वि०स०
श्री शोभाकान्त मंडल, स०वि०स०
श्री रामदेव यादव, स०वि०स०
श्रीमती प्रेमा चौधरी, स०वि०स०
श्री रामनाथ ठाकुर, स०वि०स०
श्री चन्द्रमोहन राय, स०वि०स०
श्री रामनारायण मंडल, स०वि०स०
श्री प्रेम कुमार, स०वि०स०
श्री सधनु भगत, स०वि०स०
श्री प्रभुदयाल सिंह; स०वि०स०
श्री हरिनारायण सिंह, स०वि०स०
श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा, स०वि०स०
डॉ० शंकर दयाल सिंह, स०वि०प०
श्री बालेश्वर सिंह भारती, स०वि०प०
श्री रामकुमार सिंह, स०वि०प०
डॉ० मुहम्मद शमीम, स०वि०प०
प्रो० नवल किशोर यादव, स०वि०प०

बिहार विधान-सभा सचिवालय

(लोक-लेखा समिति (2) के माननीय सदस्यगण)

सभापति

श्री रामदेव वर्मा, स० वि० स०

संयोजक

श्री रामदेव यादव, स० वि० स०

सदस्यगण

श्री रामनारायण मंडल, स० वि० स०
श्री सधनु भगत, स० वि० स०
श्री बालेश्वर सिंह भारती, स० वि० प०

महालेखाकार कार्यालय

श्री कवंल नाथ, प्रधान महालेखाकार, बिहार, रांची
श्री नन्दलाल, महालेखाकार, बिहार, पटना
श्री रतीश चन्द्र झा, वरीय लेखा परीक्षक अधिकारी, पटना
श्री उमेश प्रसाद सिंह, वरीय लेखा परीक्षक अधिकारी, पटना
श्री रणवीर प्रसाद, सहायक, लेखा परीक्षक अधिकारी, पटना
श्री राधारमण मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक अधिकारी, पटना

वित्त विभाग

श्री प्रत्युष सिन्हा, वित्त आयुक्त, बिहार, पटना
श्री भानू प्रताप शर्मा, अपर वित्त आयुक्त, बिहार, पटना

बिहार विधान-सभा सचिवालय

श्री जे० पी० पाल, सचिव
श्री सीताराम सहनी, उप-सचिव
श्री कौशल किशोर प्रसाद, अवर-सचिव
श्री मदन मोहन मिश्र, अवर-सचिव
श्री सरयुग राम, अवर-सचिव
श्री जगदेव पासवान, प्रशाखा पदाधिकारी
श्री अनिल कुमार जायसवाल, प्रशाखा पदाधिकारी
श्री नन्दू राम, प्रशाखा पदाधिकारी
श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी
श्री टेकनारायण झा, प्रशाखा पदाधिकारी
श्री सोनेत सोरेन, प्रशाखा पदाधिकारी

प्राक्कथन

मैं, सभापति, लोक-लेखा समिति, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जल संसाधन विभाग से संबंधित वर्ष, 1997-98, 1988-89, 1990-91, 1991-92, 1993-94 (सिविल) की कंडिका क्रमश: 4.25, 4.9, 5.6, 4.16 एवं 4.17 पर लोक-लेखा समिति का 323वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उपर्युक्त कंडिकाओं पर उप-समिति (2) ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 15 अक्तूबर, 2000 की बैठक में पारित किया, जिसे मुख्य समिति ने दिनांक 16 अक्तूबर, 2000 की बैठक में स्वीकार कर पारित कर दिया ।

श्रीनन्द लाल, महालेखाकार, बिहार, पटना श्री आर०सी० झा, वरीय लेखा अधिकारी; श्री प्रत्युष सिन्हा, वित्त आयुक्त, श्री भानु प्रताप शर्मा, अपर वित्त आयुक्त की समिति के इस सहयोग के लिये सराहना, बिहार विधान-सभा की लोक-लेखा समिति के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अथक परिश्रम से तैयार किये गये प्रतिवेदन के लिए समिति उन्हें धन्यवाद देती है ।

पटना,
दिनांक 16 अक्तूबर, 2000 ई०

रामदेव वर्मा,
सभापति,
लोक-लेखा समिति,
बिहार विधान-सभा ।

प्रतिवेदन

वर्ष 1997-98 की कडिका 4.25

4.25 सुरु जलाशय योजना पर 2.35 करोड़ रुपये का निष्क्रिय निवेश

सुरु जलाशय योजना पर 10 वर्षों में कुल 2.35 करोड़ रुपये का निष्क्रिय निवेश हुआ। इसके अतिरिक्त निष्क्रिय कर्मियों पर जुलाई, 1998 तक 48.35 लाख रुपये का भी व्यय हुआ।

सुरु जलाशय योजना को मुख्यतः सिंहभूम जिले के कुचाई एवं खरसावां प्रखंडों के 3441 हेक्टर जमीन (खरीफ 2435 एवं रब्बी 506 हेक्टर) में सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा जनवरी, 1982 में 3.12 करोड़ रुपयें की प्रशासनिक मंजूरी दी गई। अप्रील, 1983 में मुख्य अभियन्ता (मु०अ०) जल संसाधान विभाग, रांची द्वारा योजना को मार्च, 1987 तक पूरा करने के लिये 3.12 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति दी गयी।

विभाग ने कार्यपालक अभियंता (का०अ०) जल पथ प्रमंडल, चाईबासा को अप्रील, 1983 से मार्च, 1994 के दौरान 3.95 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया। इसके विरूद्ध 2.35 करोड़ रुपये प्रारम्भिक कार्य नहर कार्य मोबिलाईजेशन एडभांस सहित अन्य कार्यों सहित सामग्रियां का क्रय तथा भू-अर्जन सहित स्थापना शुल्क (1.35 करोड़ रूपये) पर खर्च किया गया। शेष 1.60 लाख रुपये समर्पित/व्यपगत हुये।

लेखा परीक्षा में संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ

कार्यपालक अभियंता ने बांध (लम्बाई 7610 फीट) एवं स्पिलवे (115 फीट का निर्माण 2.38 करोड़ रुपयें को लागत पर जून, 1987 तक पूरा करने के लिये बिहार राज्य निर्माण निगम (वि०रा०नि०नि०) के साथ 1984-85 में 3 अनुबंध किया। वि०रा०नि०नि० द्वारा बांध एवं स्पिलवे का निर्माण कार्य

आरम्भ नहीं किया गया क्योंकि वन विभाग द्वारा अपनी जमीन पर बांध एवं स्पिलवे के निर्माण की अनुमति नहीं दी गई । तदोपरान्त, सिचाई के प्रयोजन हेतु वन क्षेत्रों की उपयोगिता से संबंधित उच्च न्यायालय, पटना के निर्णय (1989-90) एवं वि०रा०नि०नि० द्वारा पुराने दर (1984-85) पर कार्य के क्रियान्वयन की सहमति की प्राप्ति के बाद मुख्य अभियंता (मु०अ०) रांची ने कार्य पूर्णता की समयावधि को विस्तारित किये बिना 18.60 लाख रुपये की ब्याज रहित मोबलाइजेशन अग्रिम की स्वीकृति दी (1989) तथा का०अ० ने वि०रा०नि०नि० को उसका भुगतान (अक्तूबर, 1989 एवं जनवरी, 1990 के बीच) किया । वि०रा०नि०नि० ने कार्य प्रारम्भ नहीं किया तथा अगस्त, 1998 तक मोबालाइजेशन अग्रिम की पूरी राशि असुलित रही । मु०अ०, रांची ने कहा (फरवरी, 1998) कि वसूली के मामले की सूचना सरकार का सितम्बर, 1994 में दे दी गयी थी । अंतिम निर्णय अभी तक प्रतीक्षित था (फरवरी, 1998) ।

नहर

दायें तथा बायें मुख्य नहर की अनुमोदित आकलित लम्बाई क्रमशः 178 कि०मि० तथा 161.15 कि०मी० थी । इसके विरूद्ध प्रमंडल द्वारा 1985--93 के दौरान दायें मुख्य नहर का केवल 2.75 कि०मी० का निर्माण 41.38 लाख रुपये की कुल लागत पर किया गया । इसके बाद निधि के अभाव में कार्य बंद कर दिया गया । तदुपरान्त नहर में किया गया मिट्टी कार्य प्रकृति के भरोसे छोड़ दिया गया । योजना के प्रभारी सहायक अभियंता ने कहा (जून, 1998) की वर्षा से गाद भरने के कारण नहर में मिट्टी कार्य पुनः करना पड़ेगा । इस प्रकार नहर कार्य पर किया गया 41.38 लाख रुपये का कुल व्यय निष्फल रहा था ।

सामग्रियों की अधिप्राप्ति

प्रमंडल द्वारा 1986--90 के दौरान 4.58 लाख रुपये की लागत पर प्राप्त किये गए छल्ले एवं कपाट के साथ ह्यूम पाईप भंडार में 7 वर्षों से

अधिक तक अव्यवहृत पड़े थे । विभाग/प्रमंडल द्वारा अगस्त, 1898 तक उनके निष्पादन तथा अन्य प्रमंडलों में उनके उपयोग के लिए स्थानान्तरण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी ।

निष्क्रिय-कर्मी

जल पथ अनुमंडल, खरसावां की स्थापना इस योजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिये की गयी थी । विभाग द्वारा कार्य बन्द कर दिये जाने के कारण तकनीकी (6 सं०) तथा गैर-तकनीकी (11 सं०) कर्मी निष्क्रिय रहे क्योंकि 1993-94 से जुलाई, 1998 के दौरान उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया था । उनके वेतन तथा भत्ते पर 48.35 लाख रुपये व्यय किये गये थे ।

का०अ० ने कहा (अगस्त, 1998) कि प्रमंडल ने कार्य को निधि के अभाव तथा जल संसाधन विभाग द्वारा इस योजना को प्राथमिकता सूची में नहीं रखने के कारण बंद कर दिया गया था । का०अ० द्वारा सरकार को मई, 1998 में 11.97 करोड़ रुपये का पुनरीक्षित प्राकलित लागत को पुनरीक्षित कार्य योजना प्रस्तुत की गयी थी जो अगस्त, 1998 तक अनुमोदित नहीं हुई थी ।

अतः एक कार्य को, जो सरकार को प्राथमिकता सूची में नहीं था, उसकी पूर्णता को सुनिश्चित किये बगैर लिया गया । इसके फलस्वरूप योजना की पूर्णता की अनुमानित तिथि से 10 वर्ष बाद तक कार्य पर 2.35 करोड़ रुपये का निष्क्रिय निवेश तथा जुलाई, 1998 तक निष्क्रिय कर्मियों पर 48.35 लाख रुपये का व्यय हुआ ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (मई, 1998) उनके उत्तर अप्राप्त थे (जनवरी, 1999) ।

विभागीय स्पष्टीकरण

जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार ने अपने पत्रांक 19/सी० ए० जी० 05/99-2376, दिनांक 12 अगस्त, 2000 द्वारा सी० ए० जी० के प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 (सिविल) की कंडिका 4.25 के संबंध में समिति को सूचित किया है कि :--

आदिवासी बहुल क्षेत्र सिंहभूम जिले के कुचाय तथा खरसावां प्रखण्डों के 3970 हे० जमीन को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1984-85 में यह कार्य बिहार राज्य निर्माण निगम को 2.38 करोड़ रु० की लागत पर आवंटित किया गया। परन्तु वन विभाग के विरोध के कारण कार्य रोक देना पड़ा। स्थानीय लोगों के पहल पर लोकहित याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में सरकार को यह कार्य पुनः प्रारम्भ करने का निर्णय लेना पड़ा। 1989 में भी बिहार राज्य निर्माण निगम ने यह कार्य 1984-85 के दर पर ही करने का निर्णय लिया जिससे सरकार को लाभ था।

चूंकि बिहार राज्य निर्माण निगम, बिहार राज्य सरकार का ही एक उपक्रम है, जिसके पास पूंजी की कमी होती है इसलिए कार्य को गति देने के लिए अक्टूबर "1989 से जनवरी 1990" तक 18.60 लाख रु० का मोबलाइजेशन अग्रिम दिया गया। परन्तु 1990-91 से सरकार के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना संभव नहीं हो सका इसलिए कार्य रोकना पड़ा। एकरारनामा के समय भविष्य की वित्तीय स्थिति का अनुमान लगाना कठिन है। यह राज्य के द्वारा जुटाये गये संसाधनों पर निर्भर करता है न कि किसी एक विभाग पर निर्भर करता है।

1989 में भी 1984-85 की दर बिहार राज्य निर्माण निगम से कार्य कराना तथा कार्य की प्रगति को तेजी लाने के लिए ही 18.60 लाख रुपये का मोबलाइजेशन अग्रिम दिया जाना, जल संसाधन विभाग द्वारा शीघ्र कार्य पूरा करने तथा मितव्ययिता की मंशा दर्शाता है।

1999 में बिहार राज्य निर्माण निगम को जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत कार्य आवंटित है, जिससे मोबलाइजेशन अग्रिम को समायोजन की कारंवाई की जाती है। इस राशि की भी वसूली कर ली जाएगी।

वन विभाग की सहमति प्राप्त करने की कारंवाई की जा रही है जिसके उपरान्त इस योजना के अवशेष कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार कृत संकल्प है।

1990-91 के उपरान्त वित्तीय कठिनाईयों के कारण कार्य लगभग बाधित रहा इसलिए बिहार राज्य निर्माण निगम की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह मोबलाइजेशन अग्रिम को लौटा सके 1999 में कुछ क्षेत्रों में बिहार राज्य निर्माण निगम को कार्य आवंटित किया गया है, जिसके विरुद्ध निगम से मोबलाइजेशन अग्रिम की 18.60 लाख की राशि एकरारनामा के शर्तों के अनुरूप वसूल कर ली जाएगी।

दायें मुख्य नहर के सिल्ट जमा हो गया है तथा कहीं-कहीं यह पूरा भर गया है जिसे साफ कराने के लिए अलग से प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है जिसके उपरान्त नहर पूर्व की स्थिति में आ जायेगी। गाद सफाई की राशि 41.38 लाख रु० के विरुद्ध बहुत कम होगी इसलिए दांयी मुख्य नहर पर किया गया व्यय निष्फल नहीं है।

वन विभाग की सहमति प्राप्त कर अवशेष कार्य पूरा किया जाएगा तथा गाद सफाई कराकर नहर को पूर्व की स्थिति में लाया जाएगा। वर्त्तमान दर पर इस नहर के निर्माण पर पूर्व में व्यय की गयी राशि से कई गुणा राशि व्यय करना पड़ता। अत। यह निष्फल व्यय नहीं है। मुख्य अभियता, रांची के परिक्षत्राधिन नाबार्ड तथा ए० आई० बी० पी० के अन्तर्गत 1997-98 के उपरान्त कार्य प्रारम्भ हुआ है। अब राज्य योजना से भी कुछ योजनाएं चलाई जा रही है इसलिए आवश्यकतानुसार इन सामग्रियों को अन्यत्र प्रयोग में लेन हेतु कार्रवाई की जाएगी।

सरकार की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण इस योजना का कार्य नहीं हो सका। जलपथ अवमंडल, खरसावां के द्वारा सुरू जलाशय योजना के अतिरिक्त सोना सिंचाई योजना का सम्पोषण एव सिंचाई कार्य किया जाता जिसकी सिंचाई क्षमता 4700 हे० है। अत: यह कहना कि कर्मी निष्क्रिय रहे हैं, सही नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है । भविष्य की वित्तीय स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है । भविष्य में सामान्य वित्तीय स्थिति रहने के प्रत्याशा में योजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया जाता है तथा योजनाओं पर प्रत्येक वर्ष निधि की उपलब्धता के अनुसार आवटन देकर उसे पूरा किया जाता है। यही नीति सरू जलाशय योजना के लिए भी अपनाई गई परन्तु वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण यह कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका। वन विभाग की सहमति के उपरान्त इसे पूरा किया जाएगा।

अत: कंडिका बिलोपित की जाय ।

समिति की अनुशंसा

इतनी बड़ी राशि के दुरुपयोग की यथोचित एवं न्यायोचित जवाबदेही निर्धारित कर समिति को 6 माह के अन्दर अवगत कराया जाय। यदि 6 माह के अन्दर समिति को अवगत नहीं कराया जाता है तो विभागीय सचिव इस अवमानना के दोषी होंगे । इस तरह समिति इस कंडिका को निष्पादित करने की अनुशंसा करती है।

वर्ष 1988-89 की कंडिका संख्या 4.9

ब्याज धारक ऋणपत्रों का कपटपूर्ण भुनाना

चार ठेकेदारों, नामित, अ० ब० स० और द ने 10 पोस्ट-आफिस बचत जमा पास बुक 2.33 लाख रुपये के संकलित जमा बाकी और 7 राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों (एन० एस० सी० YI) निर्गम के साथ, 0.35 लाख रुपये के लिए, कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल अन्धराठाढ़ी (मधुबनी) के पक्ष में 1983-85 के दौरान उनको आवंटित कार्य के विषय में पेशगी

जमा के रूप में कार्यपालक अभियंता द्वारा ठेकेदारों "अ" "ब" "स" और "द" के पासबुकों/एन० एस० सी० एस० के निर्मुक्त करने के लिए कोई कारंवाई नहीं की गयी थी जब उनका 2.54 लाख रुपये पेशगी जमा रुपया फरवरी/मई 1986 में कार्यों के पूर्ण हो जाने पर सितम्बर/दिसम्बर, 1986 में वापसी के लिए दातव्य था। ठेकेदार "द" का कार्य तब तक प्रगति में था। ठेकेदार "स" से एक शिकायत प्राप्त करने पर कि 0.35 लाख रुपये का उसका एन० एस० सी० एस० संबंद्ध डाकघर से कपटपूर्ण ढंग से भुना लिया गया था। कार्यपालक अभियंता द्वारा नवम्बर, 1987 में प्रमंडल में सभी ब्याज धारक ऋणपत्रों का भौतिक सत्यापन संचालित प्रदर्शित किया कि ठेकेदारों "अ" और "ब" के 10 पासबुक (ठीकेदार "द" के 2 पासबुकों सहित) गुम थे जिनको प्रमंडलीय खजांची के अभिरक्षा में रखा गया था। जांच के बाद, कार्यपालक अभियंता द्वारा आरोपित किया गया कि वे सभी 10 पास-बुक और एन० एस० सी० 2.68 लाख रुपये के कुल रकम से संबंधित जुलाई, 1986 और जुलाई, 1987 के बीच संबंद्ध डाकघरों से कपटपूर्ण रूप से भुनाय गये थे।

कार्यपालक अभियंता ने दिसम्बर, 1987 में पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस का अन्वेषण प्रतिवेदन फरवरी, 1989 तक प्रतीक्षित था। आरोपित गबन, कार्यपालक अभियंता के ऋणपत्रों का अपने अभिरक्षा के अन्तर्गत नहीं रखने और नियमों के अन्तर्गत आवश्यक वार्षिक सत्यापन में विफलता के कारण संभव हुआ था। ऋणपत्रों को ठेकेदारों को समय से निर्मुक्त करने में विफलता ने भी कपटपूर्ण निकासी को सुविधाजनक बनाया। मामला को न तो महालेखाकार या न ही सरकार के वित्त विभाग को प्रतिवेदित किया गया था। जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध कपटपूर्ण निकासियों के लिए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गयी थी। मुख्य अभियंता के आदेश प्रमंडल से संबद्ध खजांची के स्थानान्तरण का भी कार्यपालक अभियंता द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था, जिसके लिए अभिलेख में कोई कारण नहीं था।

मामला सरकार को अक्टूबर, 1989 में प्रतिवेदित था, जवाब प्राप्त नहीं था (जुलाई, 1992)।

विभागीय स्पष्टीकरण

जल संसाधन विभाग ने अपने पत्र सं० 19 लो० 27/95-2409 दिनांक 14 अगस्त, 2000 द्वारा सी० ए० जी० का प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 (सिविल) की कंडिका 4.9 के संबंध में समिति को सूचित किया है कि दोषी रोकड़पाल, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल अन्धराठाढी को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही चलाई गयी।

2. इन पर निम्न आरोप प्रमाणित हुआ:—

(क) सम्वेदकों को पास बुक/एन० एस० सी० इनके द्वारा कभी भी नहीं दिया जाना बल्कि डाकघर में इनके द्वारा धोखा-धड़ी एवं जालसाजी कर भुगतान प्राप्त कर 2,67,900 रु० का गबन करना।

3. इन प्रमाणित आरोपों के लिए दोषी रोकड़पाल को विभागीय आदेश सं० 583, दिनांक 28 जुलाई, 1999 से सेवा बर्खास्त (डिसमिस) कर दिया गया है। (दंडादेश की प्रति संलग्न है)।

4. इन पर एक क्रिमीनल केस अन्धराठढी थाना काण्ड सं० 9/88 दायर है।

5. अतः विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई की गयी है।

अनु०—यथावत।

समिति की अनुशंसा

चूंकि क्रिमीनल केस दायर है। दायर मामले की अद्यतन स्थिति से समिति को छः माह के अन्दर अवगत कराया जाय तथा समिति इस कंडिका को निष्पादित करने की अनुशंसा करती है।

वर्ष 1990-91 की कंडिका संख्या 5.6

अव्यवहृत सामग्री पर निष्क्रिय निवेश

मार्च तथा नवम्बर, 1988 के बीच क्रय तथा परिवहन निदेशक ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दरम्यान औरंगा जल परियोजना में इस्तेमाल के लिए 65.01 लाख मूल्य के विभिन्न विद्युत सामग्री की आपूर्त्ति के लिए खरीदारी

...ा आदेश दिया था। खरीद के पूर्व कोई प्राक्कलन नहीं तैयार किया गया था। औरंगा निर्माण प्रमंडल के द्वारा मार्च, 1988 से मार्च, 1989 के बीच प्राप्त सामग्री का इस्तेमाल नवम्बर, 1991 तक भी नहीं किया गया क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दरम्यान निधि की अनुपलब्धता के कारण परियोजना को लागू करने का प्रस्ताव मूर्त्तरूप नहीं ले सका तथा परियोजना को निधि की उपलब्धता के आधार पर आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसे लिया जाना प्रस्तावित हुआ।

लेखा परीक्षा समीक्षा से पता लगा कि निदेशक द्वारा दिये गये खरीद के आदेश कार्यपालक अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता तथा अभियन्ता के द्वारा समर्पित सामान सूची से सन्दर्भित थे। तथा इन सबों का कोई प्राक्कलन आधार नहीं था। उन लोगों द्वारा आवश्यकताओं के मूल्यांकन के तरीके को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

वास्तविक आवश्यकताओं का मूल्यांकन किये बिना सामग्री की खरीद अविवेकपूर्ण थी तथा इसके कारण 65.01 लाख रुपये का निष्क्रिय निवेश अव्यवहृत सामान सूची के उपर दो वर्षों से भी अधिक दिनों तक रहा।

मामले को जनवरी, 1991 में सरकार को सन्दर्भित किये गये। प्रत्युत्तर अप्राप्त थे (जुलाई, 1993)।

विभागीय स्पष्टीकरण

जल संसाधन विभाग ने अपने पत्रांक 19/लोक-90/95-2374, दिनांक 12 अगस्त, 2000 द्वारा सी० ए० जी० प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 (सिविल) की कंडिका 5.6 के संबंध में समिति को सूचित किया है कि औरंगा निर्माण प्रमंडल, तुम्बागढ, यांत्रिक प्रमंडल, मोहम्मदगंज, औरंगा निर्माण प्रमंडल, पांकी एवं यांत्रिक प्रमंडल, मंडल, पलामू में गलत आपतीक व्यादेश देकर विद्युत सामग्री क्रय किया गया जो अव्यवहृत पड़ा रहा। इस पर तीन निगरानी थाना कांड है:--51/90, 53/90, 23/91।

2. इसमें सभी पदाधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति दी गयी।

3. 10 पदाधिकारियों को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही की गयी और उन्हें दंडित किया गया।

दंडादेश का विभागीय आदेश निम्नांकित है:—

क्रमांक	पदनाम		दंडादेश सं० एवं तिथि
1	लेखा पदाधिकारी		62, दिनांक 21 अप्रील, 1995
2	का० अ० (यां०)	(*i*)	167, दिनांक 7 जून, 1996
		(*ii*)	1084, दिनांक 22 सितम्बर, 1997
3	स० अ० (यां०)	(*i*)	63, दिनांक 21 अप्रील, 1996
		(*ii*)	1082 दिनांक 22 सितम्बर, 1997
4	का० अ०	(*i*)	2330, दिनांक 26 अक्टूबर, 1996
		(*ii*)	3076, दिनांक 22 सितम्बर, 1997
		(*iii*)	2332, दिनांक 26 अक्टूबर, 1996
5	का० अ०		156, दिनांक 12 जून, 2000
6	अ० अ०		3073, दिनांक 22 सितम्बर, 1997
7	का० अ० (यां०)		3075, दिनांक 22 सितम्बर, 1997
8	का० अ० (यां०)		2984, दिनांक 12 सितम्बर, 1997
9	का० अ०		3065, दिनांक 22 सितम्बर, 1997
10	का० अ0		1083, दिनांक 22 सितम्बर, 1997

4. अतः विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई की गई है।

समिति की अनुशंसा

इस कंडिका के तहत दुरुपयोग की गई 65.01 लाख रु० की राशि को इससे संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन अथवा उनकी स्थायी सम्पत्ति से वसूल करने की अनुशंसा की जाती है।

वर्ष 1991-92 (सिविल)

कंडिका संख्या 4.16

नगद रुपये का गबन

प० कोशी नहर प्रमण्डल, अंधराठारी (मधुबनी जिला) के जून, 1990 में किये गये अंकेक्षण के दौरान कोषागार सत्यापन से यह पता चला कि

...कालीन रोकड़पाल ने वर्ष 1985-86 एवं 1988-89 में 1.94 लाख रुपये का गबन कर दिया। प्रमण्डल द्वारा जुलाई, 1988 एवं जनवरी, 1989 के बीच कोषागार से निकासी किये गये तीन स्वधनादेश की रकम 1.40 लाख रुपये को रोकड़पाल द्वारा अंतर्वेषण कर अंकों एवं शब्दों को बढ़ा दिया गया। राजस्व प्राप्त के 0.19 के लाख रुपये यद्यपि रोकड़-बही में मार्च, 1986 एवं दिसम्बर, 1988 में कोषागार में जमा दिखाये गये लेकिन न तो वे कोषागार अनुसूची में पाये गये और न ही बैंक नामावली में ही पाये गये। इसके अलावे, 2 सामान्य भविष्य निधि के अग्रिम के विपत्रों जिनकी कुल रकम 0.35 लाख रुपये जनवरी एवं फरवरी, 1989 में कोषागार से निकाले गये वे प्रमण्डल के रोकड़-बही में लेखांकित नहीं किये गये। इस प्रकार कुल 1.94 लाख रुपये का गबन हो गया।

प्रमण्डल न तो कोषागार से निकासी किये गये धनादेश मासिक मिलान ही किया और ना ही कोषागार में विप्रेषित रकम को सत्यापित ही किया एवं ना ही कोषागार प्रमापक पूर्जा ही प्राप्त किया गया।

प्रमण्डल के कार्यपालक अभियन्ता ने मई, 1992 में सूचित किया कि दायर किये गये प्राथमिकी (जुलाई-अगस्त, 1990) में पुलिस ने भूतपूर्व रोकड़पाल के विरुद्ध अभियोग-पत्र दाखिल कर दिया (दिसम्बर, 1991) आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित है।

रोकड़पाल निलंबित कर दिये गये (अक्टूबर, 1991) लेकिन कोई भी विभागीय कार्रवाई जून, 1992 तक शुरू नहीं की गई।

विषय-वस्तु की जानकारी सरकार को अगस्त, 1992 में दे दी गई उनके उत्तर अप्राप्त हैं (अप्रील, 1994)।

विभागीय स्पष्टीकरण

जल संसाधन विभाग के पत्रांक 19/लोक-92/95-2375, दिनांक 12 अगस्त, 2000 ई० द्वारा सी०ए०जी० का प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 (सिविल) की कंडिका 4.16।

संबंधित दोषी रोकड़पाल, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, अंधराठाढ़ी को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही चलाई गई।

2. निम्न प्रमाणित आरोपों के लिए इन्हें 28 जुलाई, 1999 से बर्खास्त (डिसमिस) कर दिया गया है।

(क) 3 सेल्फ चेकों में से एक 15,000 रु० के चेक को 95,000 रु० दूसरे 15,000 रु० के चेक को 45,000 रु० एवं तीसरे 15,000 रु० के चेक को 45,000 रु० इन्टरपोलेशन करके कुल 1,85,000 रु० अर्थात् कुल 45,000 रु० के स्थान पर 1,85,000 रु० का भुगतान इनके द्वारा बैंक से प्राप्त करना और इस तरह 1.40 लाख रुपये का गबन करना। रोकड़-बही में भी 45,000 रु० ही दर्ज करना। भुगतान प्राप्त करने का एडवाईस भी इनके नाम निर्गत होना।

(ख) कोषागार से 34,534 रु० का स्थापना मद का विपत्र बनाकर निकासी करना जिसका न तो रोकड़-बही में दर्ज करना और न भुगतान किया जाना जबकि बैंक से इनके द्वारा ही भुगतान प्राप्त किया गया है।

3. इसमें अन्धराठाढ़ी थाना कांड संख्या 49/90, 5 जुलाई, 1990 भी दायर है।

4. इस तरह विभाग द्वारा समुचित कारंवाई की गई है।

समिति की अनुशंसा

डिसमिसल नोटिफिकेशन, थाना कांड संख्या 49/90, दिनांक 5 जुलाई, 1990. अन्धराठाढ़ी थाना, (मधुबनी) से संबंधित उक्त गबन का राशि की रिकभरी के लिए 6 (छः) माह के अंदर की गई कारंवाई की अद्यतन स्थिति से समिति के कार्यान्वयन समिति को विभागीय सचिव अवगत करायें अन्यथा व अवमानना के दोषी होंगे। इस तरह समिति इस कंडिका को उक्त निर्देश के साथ निष्पादित करने की अनुशंसा करती है।

वर्ष 1993-94 (सिविल)

कंडिका संख्या 4.17

सिमेन्ट की हानि

निदेशक (क्रय एवं परिवहन), जल संसाधन विभाग, पटना ने भेजोनरी बर्केटिंग कार्य (एक बाढ़ सुरक्षा कार्य) एवं कार्यपालक अभियंता, बाढ़ सुरक्षा

प्रमण्डल, बिहटा, कैम्प मनेर (पटना) के पर्यवेक्षण के अधीन भवन के निर्माण में व्यवहृत किये जाने के लिए 1300 सीमेंट की आपूर्ति के लिए पटना का एक फर्म को सितम्बर, 1982 में आदेश उपस्थापित किये ।

आपूर्ति आदेश की शर्तों के अनुसार सीमेंट को उप-अनुमंडल अधिकारी, सोन बाढ़ सुरक्षा अनुमंडल, कटेश्वर शिविर; मनेर को दानापुर रेलवे स्टेशन पर किया जाना था । रेल वैगन की अनुपलब्धता के कारण, मुख्य अभियंता ने 240 टनों को उठाने एवं 4 और 8 फरवरी, 1988 के बीच सड़क द्वारा उसकी ढुलाई की अनुमति दी (फरवरी, 1983) मुख्य अभियंता के अनुदेश के विपरीत, उप-अनुमंडल अधिकारी ने 7 फरवरी, 1983 और 30 मार्च, 1983 के बीच एक कनीय अभियंता के माध्यम से फर्म के डालमियानगर फैक्ट्री से 422 टन सीमेंट उठाया । 422 टनों में से मात्र 264 टनों को ही अनुमंडल के खाते में प्राप्त किए गये सूचित किये जाने पर मुख्य अभियंता ने अगस्त, 1984 में अधीक्षण अभियंता, पुनपुन बाढ़ अंचल, पटना की अध्यक्षता में भंडार के वार्षिक भौतिक सत्यापन के रूप में भंडार की जांच और भौतिक सत्यापन के लिए एक समिति गठित की क्योंकि नियमों के अधीन आवश्यक भंडार का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था । समिति ने फरवरी, 1985 में छानबीन की और यह पाया कि अनुमंडल ने खातों में 1.83 लाख मूल्य के 158 टन सीमेंट की कमी थी । इसके अतिरिक्त भंडार में उपलब्ध 264 टन सीमेंट में से 1.58 लाख रुपये मूल्य का 138 टन सीमेंट जम गया था ।

प्रमंडल के अभिलेखों में यह भी देखा गया कि अनुमंडल अधिकारी और कनीय अभियंता को सीमेंट की चोरी और जम जाने के लिए उत्तरदायी पाया गया था (मई, 1992) । मुख्य अभियंता ने कार्यपालक अभियंता को जून, 1992 में उनके विरुद्ध धन का मुकदमा दर्ज करवाने का निर्देश दिया । परन्तु कार्यपालक अभियंता ने इन अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा मार्च, 1994 तक दर्ज नहीं किया था क्योंकि विभाग द्वारा सहायक अभियंता और कनीय अभियंता से व्यक्तिगत तौर पर वसूलनीय राशि का निर्धारण नहीं किया गया था ।

इस प्रकार उत्तरदायित्व के निर्धारण और वसूली के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने में विलम्ब के फलस्वरूप 3.42 लाख रुपये की हानि हुई ।

मामले की सूचना सरकार को अगस्त, 1994 में दी गयी थी । उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । (मार्च, 1995) ।

विभागीय स्पष्टीकरण

जल संसाधन विभाग के पत्रांक 19/लोक-70/95 (अंश)-2373, दिनांक 12 अगस्त, 2000 ई० द्वारा सी० ए० जी० का प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 (सिविल) की कंडिका 4.17।

बाढ़ नियंत्रण सुरक्षा प्रमंडल, मनेर (बिहटा) में सिमेंट के संबंध में अन्ततः निम्न आरोप प्रमाणित पाये गये :—

(क) 158 एम० टो० + 138 एम० टो० सीमेंट का गबन।

(ख) 163 बोरा सीमेंट सेट होना।

(2) इन प्रमाणित आरोपों के लिए दोषी पदाधिकारियों को निम्न रुप से दंडित किया जाता है :—

(*i*) कार्यपालक अभियंता आ० सं० 299, दिनांक 23 जून, 1993 एवं आ० सं० 158, दिनांक 20 जनवरी, 1998।

(क) निन्दन (1983-84)

(ख) संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक

(*ii*) सहायक अभियंता (आ० सं० 163, दिनांक 12 जून, 2000)

(क) सेवा बर्खास्त (डिसमिस)

(*iii*) कनीय अभियंता (आ० सं० 120, दिनांक 2 मई, 2000)

(क) सेवा बर्खास्त (डिसमिस)

(*iv*) एक अन्य कनीय अभियंता (आ० सं० 152, दिनांक 2 जून, 1992 एवं 317, दिनांक 9 फरवरी, 1998)।

(क) 47,400 रु० की वसूली

(ख) संचयात्मक प्रभाव से पांच वेतनवृद्धि पर रोक।

अतः उत्तरदायित्व के निर्धारण एवं वसूली की कारंवाई की जा चुकी है।

समिति की अनुशंसा

गबन की गई राशि में से शेष बची हुई राशि को संबंधित पदाधिकारियों से 6 (छः) माह के अंदर रिकभरी कराकर विभाग इस समिति के कार्यान्वयन समिति को अवगत कराये। इस निदेश के साथ समिति इस कंडिका को निष्पादित करने की अनुशंसा करती है।

रामदेव वर्मा,
सभापति
लोक-लेखा समिति।

पटना :
दिनांक 16 अक्टूबर, 2000 ई०।

आ० सं० 22/नि० सि० (दर) 16-10156/96 (अंश)--583
जल संसाधन (सिंचाई) विभाग

आदेश

पटना, दिनांक 28 जुलाई, 1999

श्री फैयाज अहमद, तत्कालीन भंडारपाल/रोकड़पाल, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, अधराठाढ़ी को उक्त प्रमंडल के पदस्थापन अवधि में इन्टरपोलिशन धोखाधड़ी एवं जालसाजी कर सरकार के लाखों रुपये गबन करने का दोषी पाते हुए विभागीय आदेश संख्या 18, दिनांक 8 फरवरी, 1996 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से सरकारी सेवा समाप्त कर दिया गया। श्री अहमद द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक रिट सी० डब्लू० जे० सी० संख्या 3781/96, दायर किया गया। दिनांक 6 नवम्बर, 1998 को पारित न्याय निर्णय के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने विभागीय आदेश संख्या 18, दिनांक 8 फरवरी, 1996 को निरस्त कर दिया तथा श्री अहमद को यह आदेश दिया गया कि वे सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के समक्ष 15 दिसम्बर, 1998 तक उपस्थित हों। सचिव के समक्ष उनकी उपस्थिति की स्थिति में विभागीय कार्यवाही पुन: संचालित कर मामले का निष्पादन उपस्थिति की तिथि से छ: माह के अन्दर सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही श्री अहमद को पुन: निलम्बित करने की छूट भी दी गई।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6 नवम्बर, 1998 को पारित न्याय निर्णय का अनुपालन श्री अहमद द्वारा किये जाने की सूचना प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि श्री अहमद द्वारा उक्त न्याय निर्णय में अन्तर्निहित आदेशों का सम्यक् अनुपालन नहीं किया गया, बल्कि आदेश के प्रतिकूल मुख्य अभियंता, जल संसाधन, पटना के समक्ष न्याय निर्णय की प्रति के साथ योगदान समर्पित किया गया तथा उसकी प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव के कोषांग में उपलब्ध करा दी गयी। यह स्थापना शाखा में दिग्भ्रमित होने के फलस्वरूप चली गई। श्री अहमद का यह दायित्व था कि वे न्याय निर्णय की प्रतिलिपि के साथ सचिव, जल संसाधन के समक्ष उपस्थित होते ताकि न्याय निर्णय का सम्यक् अनुपालन यथा सम्भव विभाग द्वारा करने में कठिनाई नहीं होती। इस तरह श्री अहमद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सम्यक् अनुपालन नहीं किया गया।

वर्णित परिस्थिति में न्याय निर्णय के अनुपालन की सूचना यथासमय नहीं प्राप्त होने पर बाध्य होकर विभागीय पत्रांक 244, दिनांक 28 जनवरी, 1999 द्वारा श्री अहमद को विभागीय सचिव के समक्ष उपस्थित होने का निदेश उनके स्थायी पता पर दिया गया तथा दिनांक 4 फरवरी, 1999 को प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी प्रचारित किया गया। अन्ततः श्री अहमद के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के सम्यक् अनुपालन की सूचना नहीं प्राप्त होने पर न्याय निर्णय के आलोक में श्री अहमद को पुनः निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। श्री अहमद द्वारा यदि न्याय निर्णय के आलोक में सम्यक् कारंवाई की गई होती तो इसमें अनावश्यक विलम्ब नहीं होता। विभागीय आदेश संख्या 277, दिनांक 27 फरवरी, 1999 के द्वारा दिनांक 7 नवम्बर, 1993 के प्रभाव से ही विभागीय कार्यवाही की परिसमाप्ति तक श्री अहमद को निलम्बित कर संकल्प संख्या 674, दिनांक 12 मार्च, 1999 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

इस बीच श्री अहमद द्वारा पूर्व निर्धारित योजना के तहत माननीय उच्च-न्यायालय, पटना में एक अवमानना वाद एम० जे० सी० संख्या 1111/99 दायर किया गया जिसके द्वारा सी० डब्लू० जे० सी० संख्या 3781/96 में दिनांक 6 नवम्बर, 1998 को पारित न्याय निर्णय के कार्यान्वयन का अनुरोध किया गया। उक्त एम० जे० सी० अभ्यावेदन के एनेक्सरों के अवलोकन के पश्चात् ही यह ज्ञात हो सका कि श्री अहमद द्वारा अपने योगदान प्रतिवेदन को प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव के कोषांग में उपलब्ध कराई गई है। श्री अहमद द्वारा यदि माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय दिनांक 6 नवम्बर, 1998 का सही रूप में अनुपालन किया गया रहता तो अनावश्यक रूप से अवमानना वाद दायर करने की आवश्यकता नहीं होती। श्री अहमद द्वारा वस्तुतः माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय का अवमानना कर विभाग के विरुद्ध अवमानना वाद दायर किया गया। अन्ततः माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय की गरिमा को विभाग द्वारा स्वीकार करते हुए विभागीय आदेश संख्या 373, दिनांक 20 अप्रील, 1999 द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 1996 के आदेश को निरस्त कर दिनांक 8 फरवरी, 1996 से 6 नवम्बर, 1998 तक की अवधि के लिए अनुमान्य वेतनादि के भुगतान का आदेश निर्गत किया गया।

माननीय उच्च-न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय कार्यवाही का सम्पादन संचालन पदाधिकारी द्वारा करते हुए जांच प्रतिवेदन अपने पत्रांक 42, दिनांक 14 जून, 1999 द्वारा समर्पित किया गया। जांच प्रतिवेदन में सभी आरोप प्रमाणित पाया गया है। जांच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा विभाग द्वारा करने के पश्चात् इन्टरपोलेशन, धोखाधड़ी एवं जालसाजी कर लाखों रुपये का गबन का आरोप प्रमाणित पाते हुए गुरुदंड देने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय पत्रांक 1321, दिनांक 15 जून, 1999 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन संलग्न कर श्री अहमद को द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर 10 दिनों के अन्तर्गत समर्पित करने का निर्देश दिया गया। श्री अहमद से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर के आलोक में मामले की पुनः समीक्षा विभाग द्वारा की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री अहमद के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में भी ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों का खंडन हो सके। फलस्वरूप निम्नलिखित इन्टरपोलेशन के धोखाधड़ी एवं जालसाजी कर लाखो रुपये गबन करने के प्रमाणित आरोपों के लिये श्री फैयाज अहमद, भंडारपाल/रोकड़पाल (निलम्बित) को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है:—

(क) 3(तीन) सेल्फ चेक में से एक 15,000/ के चेक को 95,000/रु०, दूसरे 15,000 रु० के चेक को 45,000 रु० एवं तीसरे 15,000 रु० के चेक को 45,000 रु० इन्टरपोलेशन करके कुल 1,85,000 रु० अर्थात कुल 45,000 रु० के स्थान पर 1,85,000 रु० का भुगतान इनके द्वारा बैंक से प्राप्त करना और इस तरह 1.40 लाख रुपये का गबन करना। रोक-ड़बही में 45,000 रु० ही दर्ज करना। भुगतान प्राप्त करने हेतु एडवाईस भी इनके नाम ही निर्गत होना।

बैंक से 1,85,000 रु० प्राप्त करना स्पष्ट प्रमाणित करता है कि इनके इन्टरपोलेशन किया गया।

(ख) कोषागार से 34,534 रु० का स्थापनामद का विपत्र बनाकर निकासी करना, जिसका न तो रोकड़बही में दर्ज करना और नहीं

भुगतान किया जाना, जबकि भुगतान इनके द्वारा ही प्राप्त किया जाना ।

(ग) 19,214.54 रु० कोषागार में जमा करने हेतु रोकड़-बही में दर्ज करना किन्तु जमा नहीं कर उसका भी गबन करना ।

(घ) सम्वेदकों को पासबुक/एन०एस०सी० इनके द्वारा कभी भी नहीं दिया जाना बल्कि डाकघर में इनके द्वारा धोखाधड़ी एवं जालसाजी कर भुगतान प्राप्त कर 2,67,900 रु० का गबन करना ।

(ङ) द्वितीय कारण पृच्छा में ऐसा कोई भी तथ्य नहीं रहना जिससे इनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपों का खंडन हो सके ।

वर्णित परिस्थिति में श्री फैयाज अहमद, भंडारपाल/रोकड़पाल (निलम्बित) को आदेश निर्गत की तिथि से सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है ।

निलम्बन अवधि के लिये जीवन-यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा ।

बी० बी० पाण्डेय,
सरकार के उप-सचिव ।

ज्ञापांक 1657

पटना, दिनांक 28 जुलाई 1999 ।

प्रतिलिपि अभियन्ता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त सह-विशेष सचिव/सरकार के उप-सचिव (प्रभारी प्रशाखा-3 एवं 4) जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बिहार/श्री फैयाज अहमद, भंडारपाल/रोकड़पाल (नि०) द्वारा मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी 3 एवं 4 जल संसाधन विभाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. सम्बन्धित नियंत्रण पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे ।

बी० बी० पाण्डेय,
सरकार के उप-सचिव ।

बि०स०मु० 135 एल०ए०—I—800—7-11-2000 बी०बी० लाल ।

Water Resources

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
2000